

फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला-अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या- 21/2022

बनाम

मन्तर्गत धारा:-

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज

8/8/2025

पत्रावली पेश हुई P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 12/9/25 को पेश हो।

21/9/25

वकीलों द्वारा आज काय स्थगन रखा गया है। पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु आईन्दा दिनांक 21/11/25 को पेश हो।

21/11/25

वकीलों द्वारा आज काय स्थगन रखा गया है। पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु आईन्दा दिनांक 28/11/25 को पेश हो।

28/11/25

वकील उर्ची उपस्थित है। वकील उर्ची द्वारा पत्रावली को Not Press करके वास्तव निवेदन किया गया। वकील उर्ची को जुजु गना। वकील उर्ची द्वारा निवेदन किया गया कि उर्ची पत्रावली में कोर्ट के फॉर्म नहीं जोड़े हैं। कोर्ट पत्रावली पर कोर्ट की इसी तरह पर कलम की जावे। वकील उर्ची द्वारा इन वास्तव पत्रावली कोर्ट के पर Not Press by me कम्प्लिट किया गया। वकील उर्ची पत्रावली पर कोर्ट के फॉर्म नहीं जोड़े हैं। पत्रावली कोर्ट के पर कलम की जावे कि पत्रावली में कोर्ट उर्ची द्वारा पत्रावली कोर्ट के फॉर्म नहीं जोड़े हैं। कोर्ट पत्रावली में वकील उर्ची की कम्प्लिट निवेदन तथा पत्रावली कोर्ट के पर लिखित रिप्लाय को उर्ची द्वारा पत्रावली पर कम्प्लिट की इसी तरह पर कलम की जावे। पत्रावली केवल सुकर हो। सुकर के कलम कोर्ट दखिल करवा हो।

Sir,
Not pressed
Suresh
28/11/25

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)